FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय प्रथम अपीलेट एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

श्री दौलतराज नागोड़ा अधिवक्ता, ब्यावर रोड़, तहसील के पास पो0 आसीन्द	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द व बदनोर जिला–भीलवाड़ा
– अपीलार्थी		–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1)सू0अ0अधि0 प्रकरण संख्या 85/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2017	प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते जवाब प्रत्यर्थी दिनांक .25/09/2017 को पेश हो । जिला कलेक्टर भीलवाड़ा	
25/9/2017	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी का सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी आसीन्द के पत्रांक 1900 दिनांक 25/9/2017 को प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। उक्त प्रत्युत्तर के साथ अपीलार्थी का आवेदन पत्र दि० 25/9/2017 संलग्न है। जिसमें अपीलार्थी ने अंकित किया कि सूचना उपखण्ड अधिकारी आसीन्द एवं बदनोर से प्राप्त कर ली है। मुझे अब आवश्यकता नहीं है, आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा कार्यवाही नहीं चाहे जाने से अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा	